रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 1984/आश्विन 3, 1906
No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 1984/ASVINA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1984

अधिसूचना

आ. आ. 57(अ).—निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 और निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के पैरागाफ 18 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, तथा इस कार्य में सहायक अन्य सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 (का.आ. 2959, दिनांक 31 अगस्त, 1968 के रूप में प्रकाशित) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करता है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक : इस आदेश को निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण तथा आवंटन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1984 कहा जाएगा

2. पैराग्राफ 13 में संशोधन : निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 13 में (1) खंड (ख) के अंत में शब्द 'और' हटा दिया जाएगा; तथा (2) मौजूदा खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(ग) उक्त नोटिस पर अध्यक्ष, सचिव अथवा दल के किसी अन्य पदधारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, तथा अध्यक्ष, सचिव अथवा इस प्रकार का अन्य पदधारी, इस प्रकार का नोटिस भेजने के लिए दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है; और

(घ) इस प्रकार प्राधिकृत किए गए व्यक्ति का नाम तथा उसके नमूने के हस्ताक्षर निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचना जारी किए जाने के तीन दिन के अन्दर निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर दिए गए हैं ।

[संख्या : 56/84]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 22nd September, 1984

NOTIFICATION

O.N. 57(E).—In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution read with rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order to amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 (published as S.O. 2959, dated the 31st August, 1968) :—

1. Short Title.—This order may be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Second Amendment) Order, 1984.

2. Amendment to paragraph 13.—In paragraph 13 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.—

(i) the word "and" at the end of clause (b) shall be omitted; and

(ii) for the existing clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(c) the said notice is signed by the President, the Secretary or any other office bearer of the party and the President, Secretary or such other office bearer is authorised by the party to send such notice; and

(d) the name and specimen signature of such authorised person are communicated to the returning officer of the constituency and to the Chief Electoral officer of the State within three days from the notification for the election"

[No. 56/84]

By Order,

K. GANESAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984